संख्या-13/2018/सा0-148/38-2-2018-1बी/2012

प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2018**

विषय:- नवसृजित जनपद-हापुड़ में विकास भवन के अवशेष निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-58/बजट अनु0/ सामु0वि0 2016-17 दिनांक 16-02-2017 तथा मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़ के पत्रांक-330/लेखा/विकास भवन-पुनरीक्षित आगणन /2016-17 दिनांक 11-01-2017 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-सा0-442/38-2-2014-1बी/2012, दिनांक 22-08-2014, शासनादेश संख्या-19/2015/सा0-629/38-2-2015-1बी/2012, दिनांक 27-11-2015 एवं शासनादेश संख्या-15/2016/सा0-427/38-2-2016-1बी//2012, दिनांक 03-08-2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नवसृजित जनपद-हापुड़ में विकास भवन के अवशेष निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित आकलित लागत रू0 1049.56 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 782.37 लाख को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त रू0 267.19 लाख (रूपये दो करोड़ सरसठ लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि से रू0 115.00 लाख (रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य पुनरीक्षित स्वीकृत लागत में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना का अब कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(5) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में कराये गये कार्यों की लागत को यथावत सम्मिलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ/मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़ एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/मुख्य विकास अधिकारीए हापुड़ एवं आयुक्तए ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(7) पुनरीक्षित परियोजना में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्ततन जैसे- नये कार्य बढ़ानाए कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही अवशेष कार्य कराये जायेंगे।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) निर्माण सम्बन्धी कार्यों हेतु निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार धनराशि का व्यय आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ/विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो,सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा, यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(12) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(13) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। धनराशि को व्यय करने में इस प्रकार की रणनीति बनायी जायेगीए जिससे फेजवाइज भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। भवन का निर्माण उसी एजेन्सी से कराया जायेगा, जिस पर ग्राम्य विकास विभाग की सहमति दी गयी है तथा सुसंगत शासकीय निर्माण कार्य निष्पादन विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(15) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगाए जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जायए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(16) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(17) इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा।

(20) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(21) प्रायोजना में फर्नीचरए आडियों एवं वीडियों सिस्टम की आवश्यकता, औचित्य, स्पेशिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय। यह समिति फर्नीचर, आडियों एवं वीडियों सिस्टम की आवश्यकता, औचित्य, स्पेशिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। प्रायोजना में फर्नीचर, आडियों एवं वीडियों सिस्टम हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत क्रमश: रू0 20.51 लाख एवं रू0 22.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत उक्त समिति जो लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुन: व्यय-वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(22) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ की होगी।

(23) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(24) पुनरीक्षित लागत में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(25) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(26) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(27) प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई मद में रू0 24.34 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति नहीं होने के कारण प्रभाग द्वारा मिट्टी भराई मद रू0 10.13 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। शेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर देय होगी। आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ, मिट्टी भराई के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशानिर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही करेंगे, तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई हेतु प्रावधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुई मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत को पुन: व्यय-वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(28) पुनरीक्षित प्रायोजना में फर्नीचर, आडियों-वीडियों सिस्टम, लिफ्ट, ए0सी0, 70 के0वी0ए0, 180 के0वी0ए0 डी0जी0 सेट, फैन एवं एक्झास्ट आदि कार मदों की लागत कोटेशन/बाजार दर के आधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। अत: आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत्त निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-95/दस-2018 दिनांक 29 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सहदेव
विशेष सचिव।

संख्या-13/2018/सा0-148(1)/38-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, हापुड़।
4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
5- कोषाधिकारी, हापुड़।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हापुड़।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- अधिशासी अभियन्ता यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, (पूर्ववर्ती- उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) गाजियाबाद।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।